<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>03/07/2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 01.07.2025 को जयेश मेहता और अन्य (वीवीएमसी घोटाला मामला) के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई में 16 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप **बैंक बैलेंस/फिक्स्ड डिपॉजिट/म्यूचुअल फंड के रूप में 12.71 करोड़ रुपये (लगभग) फ्रीज किए गए और 26 लाख रुपये की नकदी** सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेजों/उपकरणों को जब्त किया गया।

ईडी ने मीरा भायंदर पुलिस आयुक्तालय द्वारा बिल्डरों, स्थानीय गुंडों और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला 2009 से "वसई विरार नगर निगम (वीवीएमसी)" के अधिकार क्षेत्र में "सरकारी और निजी भूमि पर आवासीय सह वाणिज्यिक भवनों के अवैध निर्माण" से संबंधित है। वसई विरार शहर की स्वीकृत विकास योजना के अनुसार "सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट" और "डंपिंग ग्राउंड" के लिए आरक्षित भूमि पर समय-समय पर 41 अवैध इमारतों का निर्माण किया गया। आरोपी बिल्डरों और डेवलपर्स ने ऐसी भूमि पर अवैध इमारतों का निर्माण करके और बाद में अनुमोदन दस्तावेजों को फर्जी बनाकर आम जनता को बेचकर बड़े पैमाने पर जनता को धोखा दिया है। यहां तक कि पहले से पता होते हुए भी कि ये इमारतें अनधिकृत थीं और अंततः ध्वस्त हो जाएंगी, डेवलपर्स ने इन इमारतों में कमरे बेचकर लोगों को गुमराह किया और इस तरह गंभीर धोखाधड़ी की।

माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने 08.07.2024 के अपने आदेश के माध्यम से सभी 41 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसके बाद, 41 अवैध इमारतों में रहने वाले परिवारों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर की गई जिसे खारिज कर दिया गया। 20.02.2025 को वीवीएमसी द्वारा सभी 41 इमारतों को ध्वस्त करने का काम पूरा किया गया।

ईडी की जांच से पता चला है कि आर्किटेक्ट, सीए, लाइजनर और वीवीसीएमसी के अधिकारियों/कर्मचारियों का एक बड़ा गिरोह वीवीसीएमसी के अधिकार क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके काम कर रहा है। यह गिरोह वीवीसीएमसी के अधिकार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार है।

तलाशी अभियान के दौरान बड़ी संख्या में आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि वीवीसीएमसी के अधिकारी इस बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण घोटाले में शामिल हैं। डिजिटल डिवाइस से यह भी पता चला कि वीवीसीएमसी के कर्मचारियों/अधिकारियो का आर्किटेक्ट्स/सीए/लाइसनर्स के साथ घनिष्ठ सांठगांठ है और इमारतों के निर्माण की मंजूरी पाने के लिए वीवीसीएमसी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और काले धन का प्रयोग हो रहा है।

मामले में पहले की गई तलाशी कार्रवाई में 8.68 करोड़ रुपये (लगभग) नकद और 23.25 करोड़ रुपये मूल्य के हीरे जड़ित आभूषण और सोना जब्त किया गया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।